

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थानिक क्षेत्र (Institutional Area)

शहीद जीत सिंह मार्ग, Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली / New Delhi – 110016

Website: www.kvsangathan.nic

SPEED POST

F. 11058-प्र.स्ना.शि. /2019/केविसं-मु./आर0पी0एस0/3610-11

दिनांक – 27.02.2019

कार्यालय – आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्र0स्ना0 अध्यापकों को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1 दिनांक 12.08.1987, 03.11.1987 एवं 06.02.1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ₹.15600-39100/- एवं ₹.5400/- के ग्रेड पे के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हों। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारण वश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि वापिस लौटाना होगी।

संबंधित प्र.स्ना.शिक्षकों का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम-22 (1)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदनुसार उनके पास विकल्प हैं—(1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करवा लें। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प लेता है तो उनका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनित वेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post.) वेतन निर्धारण का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने के तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा तथा इस संदर्भ में जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित प्र.स्ना.शिक्षकों के विवरण निम्नानुसार है —


प्र0स्ना0शिक्षक—पे बैंड-3 (₹.15600-39100) एवं ग्रेड पे ₹.5400/-

क्रम सं०	वरीयता क्रमांक	प्र.स्ना.शिक्षक अध्यापक का नाम	के०वि० का नाम	प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर वरिष्ठ वेतनमान तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	3686	श्रीमती उषा चौधरी SMT USHA CHAUDHARY TGT HINDI	हीनू रांची HINOO RANCHI SH	22.3.1983 A/N	22.3.1995	23.03.2007

Handwritten signature

2	1379	श्रीमती पूनम शर्मा - MRS. POONAM SHARMA TGT ENG	पुष्प विहार PUSHP VIHAR	25.09.1987	02.10.1999	02.01.2012*
3		श्रीमती नंदा वैष्णव SMT NANDA VASHNAV TGT- SKT	नं0 1 उदयपुर NO 1 UDAIPUR	25.10.1988	26.10.2000	26.10.2012
4	1939	श्रीमती मीता वर्मा SMT MEETA VERMA TGT ENG	नं0 2 भोपाल NO 2 BHOPAL	06.01.1990	06.01.2002	06.01.2014
5	1925	श्री मुरारी लाल शास्त्री Dh M L Shastri TGT Skt	जनकपुरी Janakpuri	06.01.1990	21.06.2002	21.06.2014
6	330	श्रीमती अंजु बाला SMT ANJU BALA TGT(Wet)	नं0 2 सोहना रोड No.2 SOHNA Rd GURUGRAM	12.02.1985	12.02.1997	07.12.2009*

नोट: (*) चयनित वेतनमान 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण समाप्त करने की तिथि के अगले दिन से स्वीकृत


 (डॉ. वी. विजयालक्ष्मी)
 संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित -

1- उपायुक्त, के.वि.सं. सभी संभागीय कार्यालय को इस प्रार्थना के साथ कि वे अपने संभाग के संबंधित केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षकों को यह आदेश सूचनार्थ अग्रेषित करें ।

2 प्राचार्य , सभी संबंधित केन्द्रीय विद्यालयों को प्रार्थना की जाती है कि-

क- चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाए । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी संबंधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हों । कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें ।

ख - संबंधित शिक्षक से निर्धारित प्रोफोर्मा में वचनबंध - तीन प्रति- ले ली जाए जिसकी एक प्रति उसके सेवा-पुस्तिका, दूसरी प्रति उसके व्यक्तिगत-मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए ।

ग- इस आदेश को प्रभावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि (1) संबंधित शिक्षक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला/विभागीय कार्यवाई लंबित ना हो और (2) संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 06 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो ।

घ-अन्य विवरण जैसे के.वि. का नाम,पदभार ग्रहण तिथि/वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाएं ।

3/उपायुक्त, ईडीपी सैल, केविसं (मुख्या0) को इस आशय के साथ कि यह आदेश केविसं (मु0) की वेब साइट पर अपलोड करें ।

